

26.12.19

पत्रावली प्रमुख अधिकारी को यह सूचना दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तलबी से शेष रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 2-20 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में की स्थिति है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।



27-1-20

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तलबी से शेष रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 2-20 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में की स्थिति है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

2-20

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांफकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तलबी तलबी दिनांक दाखिल दफ्तर हो।

प्रमुख अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

